

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 832/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 925/2026
CNR: RJHC020397112026 | URN: CRLAS / 1732U / 2026

Mansukh Saini S/o Mavasi Ram Urf Anna, R/o Milakpur Police
Station Ramgarh Alwar (Raj) (At Present Confined At Central Jail
Alwar Rajasthan)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. R.B. Sharma Ganthola
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

29/07/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय-अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-03, अलवर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या-83/2024, सरकार बनाम मनसुख सैनी एवं अन्य में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 17.04.2026 के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दस वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व

विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान दिनांक 01.03.2023 से 09.02.2024 तक अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात् वह जमानत पर आजाद रहा है तथा वर्तमान में वह निर्णय की दिनांक 17.04.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में गवाह पी0डब्ल्यू-3 मुस्ताक, पी.डब्ल्यू-4 मौसमदीन, पी0डब्ल्यू-5 रहमदीन एवं पी0डब्ल्यू-9 शकील पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, इन साक्षीगण ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा भी हो चुका है, राजीनामा बाबत् तथ्यों को साक्षीगण पी0डब्ल्यू-2 एवं पी0डब्ल्यू-3 क्रमशः सिराजु खां एवं मुस्ताक ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार भी किया है, विचारण न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्य एवं तथ्यों का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन-विश्लेषण नहीं किया है तथा अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि की साक्ष्य नहीं होते हुए भी उसे दोषसिद्ध किया गया है। अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध कर प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष के तर्कों-वितर्का पर मनन किया, पत्रावली पर आई साक्षीगण की साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अतः पत्रावली पर आई साक्ष्य की प्रकृति, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों-समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद

50,000 /—रुपए (अक्षरे पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000—25000 /—रुपए (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **29.08.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **मनसुख सैनी पुत्र श्री मवासीराम उर्फ अन्ना** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J